न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 8/19 GCMS NO 2019/00010

रसिक बिहारीदास चेला श्री द्वारिका दास जाति ब्राहम्ण निवासी अमरगढ तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

मुकेश पुत्र कोरया जाति बैरवा निवासी अमरगढ तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 19/14 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री धीरेन्द्र पाल सिह

अभिभाषक रैस्पो0 श्री घनश्याम जाट

दिनांक 19.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.18 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाट/वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 254 रकबा 3 बीघा , 255 रकबा 16 विस्वा वाके ग्राम अमरगढ तहसील सपोटरा वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की हे। जिसमे अन्य किसी और कोई का कोई वास्ता संबंध नही है। प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के व्यक्ति है जो राज तेज से नीडर व्यक्ति है तथा पैसे वाले है। वर्तमान मे सरपंच इनके परिवार से है। जिसके कारण यह लोग अपनी मनमानी करते है तथा चाहे जिस भूमि पर नाजायंज कब्जा करते है। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की आराजीयात व कब्जे काश्त की भूमि मे पश्चिम दिशा की ओर पहाड के सहारे अतिक्रमण करके जबरने अपने पक्के मकान बिना किसी सक्षम स्वीकृति के तथा बिना भूमि को कन्वर्ट कराये बना लिये है और वादी की भूमि पर मकान बनाकर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इसलिए वादी अपनी खातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानूनन कायदे व मिसल होने से निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य के विपरीत निर्णय जारी किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर आराजीयात अपीलार्थी/वादी की मानी है एवं जमाबंदी सम्वत 2067-70 के अनुसार अपीलार्थी/वादी को जैर आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार माना है। तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण /रेस्पो0 तय की गई है। जिसके बावजूद भी मनमाने तरीके से विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी मुन्शी पुत्र कजोडया, परमाती पुत्र कोरया, राजेश पुत्र कोरया के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.6.14 को एक्सपार्टी/एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये है केवल रेस्पो0 /प्रतिवादी संख्या 2 की और से जो जबाब दावा पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया ओर ना ही स्वयं की मौखिक साक्ष्य पेश की गई। जिसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य वादी के दौरान स्वयं अपीलार्थी/वादी के बयान पी डब्लू 1 गवाह घनश्याम के बयान पी डब्लू गवाह शिवचरण बयान पी डब्लू 3 दर्ज किये गये एवं जिरह भी की गई। जिसमे भी अपीलार्थी /वादी की जैर आराजीयात भूमि पर पश्चिम दिशा की और पहाड के सहारे अतिक्रमण कर पक्का मकान प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना लिये गये है के साक्ष्य आने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित रूप से विवेचन नही कर जैर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी मुन्शी पुत्र कजोडया, परमाती पुत्र कोरया, राजेश पुत्र कोरया के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने की बजह से अपील मे उनको पक्षकार नही बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 की और से कोई साक्ष्य नही कराई गई है। अपीलार्थी जैर आराजीयात पर काश्त करवाकर फसल लाभ लेकर अपना जीवन यापन करता चला आ रहा है। अपीलार्थी बुजुर्ग व्यक्ति है एवं इन्ही की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात को रेस्पो0 जो कि सरपंच के परिवारजन होने एवं देषता रखने से अतिक्रमण कर पश्चिम दिशा की ओर पहाड के सहारे आवासीय मकान विधि विरूद्व बना लिया है। जिससे बेदखल किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराना न्यायोचित है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय मे नियुक्त अधिवक्ता द्वारा अपीलांट/वादी को नही दिये जाने के कारण प्रथम जानकारी 8.1.19 को होने पर नकल आदि प्राप्त की जाकर अपील अन्दर मियाद संलगन धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत की है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा पहाड के सहारे पश्चिम दिशा की और अतिक्रमण कर बनाये गये मकानो से बेदखल कर कब्जा अपीलांट/वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे अंकित किया कि अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे प्रतिवादीगण द्वारा वादी/अपीलांट की खातेदारी मे रेस्पो0 द्वारा पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण करना पेश किया गया था। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 से विवादित आराजीयात पर रिसायतकाल से आवास बनाकर बसावट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जा रही है जिसमे प्रतिवादीगण को राज्य सरकार की लाभकारी योजना इन्द्रा आवास से मकान बना रखे है। वादीगण का उक्त आवासो से कोई लेना देना नही है। उक्त आवास वादी की खातेदारी से काफी दूर है। वादी द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो0 को बेवजह हेरान परेशान किये जाने की वजह से पेश किया गया था। रेस्पो/प्रतिवादीगण गरीब जाती से बैरवा है। वादी/अपीलांट आये दिन हेरान परेशान करते रहते है। रेस्पो0 द्वारा वादी/अपीलांट को किसी प्रकार की कोई धमकी किसी भी दिन नही दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे तनकीयात कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर प्रत्येक तनकी पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि के अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 254 रकबा 3 बीघा व ख0न0 255 रकबा 16 विस्वा वाके ग्राम अमरगढ तहसील सपोटरा की खातेदारी द्वारिका द्वास चेला गोविन्द दास महन्त निवासी अमरगढ के नाम राजस्व रिकार्ड है जो जमाबंदी सम्वत 2067–70 से स्पष्ट है। जो विरासत से नामा0संख्या 1296 दिनांक 14.2.14 से अपीलांट के नाम स्वीकार हुआ है। वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बेदखली व स्थाई निषेघाज्ञा का था। बेदखली के वाद पत्र मे प्रतिवादी/रेस्पो0 का दखल/अतिक्रमण सिद्व करना आवश्यक है। अपीलांट/वादी द्वारा इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। जिससे प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा/अतिक्रमण सिद्व हो। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत किसी प्रकार की कोई मौके की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त नही की गई है। जिससे मौके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका रिपोर्ट तलब किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के मुकदमा न0 19/14 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे विवादित आराजीयात की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार सपोटरा से प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चत करे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर